

अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6-7, एवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर-302015

फोन नम्बर 0141-2973804 2988946 Website:- www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांक : पैरामेडि.कौ / परीक्षा / 2019 / 688

दिनांक :- 26/5/19

प्राचार्य,
समस्त मान्यताप्राप्त पैरामेडिकल कॉलेज / संस्थान,
राजस्थान

विषय : राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा माह मई-जून, 2019 में आयोजित कराई जा रही परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र जारी किये जाने के संबंध में।


संदर्भ : इस कार्यालय का पूर्व आदेश 949 दिनांक 23.05.2019

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा प्रथम वर्ष मुख्य व रिमाण्डेड परीक्षाएं माह मई-जून, 2019 में आयोजित की जा रही हैं, जिसके लिए संबंधित संस्थान के पोर्टल पर विद्यार्थियों के परीक्षा प्रवेश पत्र जारी कर दिये गये हैं, किन्तु कई संस्थानों के परीक्षार्थियों द्वारा यह अवगत कराया जा रहा है कि बार-बार कौंसिल से परीक्षा प्रवेश पत्र विद्यार्थियों को तुरन्त जारी किये जाने के संदर्भित निर्देशों के बावजूद भी कई संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों से आगामी वर्ष की ट्यूशन फीस अथवा अन्य अनुचित अतिरिक्त फीस जमा कराये जाने का अनुचित दबाव बनाया जा रहा है तथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं।

अतः समस्त संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके संस्थान के समस्त विद्यार्थियों को इस परीक्षा के प्रवेश पत्र तुरन्त जारी करावें। साथ ही आज दिनांक 26.05.2019 सायं 4:00 बजे तक इन प्रवेश पत्रों को जारी कर इसकी सूचना कौंसिल में प्रस्तुत करावें। साथ ही जिन विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किये गये हैं, उनकी सूची विवरण मय समुचित कारण के कौंसिल को आज सायं 4:00 बजे तक अवगत करावें।


कृपया सूचित रहें कि विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी नहीं करना कौंसिल के प्रावधानों तथा संबंधित संस्थान को कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति की शर्तों का उल्लंघन है और ऐसी स्थिति में आपके संस्थान की मान्यता समाप्त करने पर विचार किया जाकर आगामी सत्र 2019-20 में काउन्सिलिंग के माध्यम से आपके संस्थान को विद्यार्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।


(सोमदत्त दीक्षित)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क., राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार
3. अध्यक्ष, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर
4. परीक्षा नियंत्रक / काउन्सिलिंग शाखा / मान्यता शाखा, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ
5. रक्षित पत्रावली


रजिस्ट्रार